न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/मुन्त./2024/23

परभाती पुत्र श्री किशन उम्र 72 साल जाति माली निवासी वार्ड नं. 2 पानी की टंकी के पास उपाध्याय पाड़ा, नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री निरासी
2. चन्द्रशेखर पुत्र श्री गिरधर
3. नत्थोदेवी बेवा श्री निरासी

} जाति माली निवासीयान वार्ड नं. 2 पानी की टंकी के पास उपाध्याय पाड़ा, नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. उपपंजीयक नदबई तहसील नदबई, जिला भरतपुर

..... गैरअप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज.टी.एक्ट विरूद्ध श्री गंगाधर मीना उपखण्डाधिकारी नदबई व सिलसिले मुकदमा उनवानी परभाती बनाम ज़गदीश आदि मु0 नं0 59/2021

उपस्थितः—

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रमेश चन्द बुन्देला अभिभाषक अप्रार्थीयान

आदेश **दिनांक 27.09.2024**

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरप्रार्थीयान व खिलाफ उपखण्डाधिकारी नदबई इस आश्य का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई के यहॉ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टी.एक्ट दायर किया गया था। जिसका मु0नं0 59/2021 है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 जाप्ता दीवानी पेश किया। प्रार्थी का आरोप है कि उपखण्डाधिकारी नदबई द्वारा मुकदमा में पास की तारीख दी जा रही है। वह दावे को तुरंत खारिज करना चाहते है। गैर प्रार्थी सं0 1 द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर प्रार्थी को धमकी दी कि वह मुकदमा को न्यायालय से पास की तारीख लेकर खारिज करायेगा, मुकदमा को खारिज करने और उसके पक्ष में फैसला करने बावत उपखण्डाधिकारी नदबई से बातचीत हो गई हैं। इससे प्रार्थी को उपखण्डाधिकारी स्वीकार किया जाकर अन्य किसी दीगर न्यायालय में प्रकरण मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई साथ ही उपखण्डाधिकारी नदबई से प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी तलब की गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये तर्क दिया कि गैर प्रार्थी सं0 1 द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर प्रार्थी को धमकी दी कि वह मुकदमा को न्यायालय से पास की तारीख लेकर खारिज करायेगा, मुकदमा को खारिज करने और उसके पक्ष में फैसला करने बावत उपखण्डाधिकारी नदबई से बातचीत हो गई हैं। उपखण्डाधिकारी नदबई द्वारा मुकदमा में पास की तारीख दी जा रही है। वह दावे को तुरंत खारिज करना चाहते है। इस कारण प्रार्थी को उपखण्डाधिकारी नदबई से उक्त प्रार्थना पत्र पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने बहस के दौरान बताया कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर किसी अन्य दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में प्रार्थी ने जो आरोप लगाये हैं वे स्वीकर योग्य नहीं है क्यों कि प्रार्थी ने अपने मौखिक आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है। जिस से मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। अप्रार्थी की सहमति देने से न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने को बाध्य नहीं है। न्यायालय को यह भी देखना है कि तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो। बिना किसी ठोस कारण के प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किये जाने से तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया में ही कॉफी समय बर्बाद हो जावेगा। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर